



उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ खंडपीठ

आवेदन अंतर्गत धारा 528 बीएनएसएस संख्या - 1229 वर्ष 2026

अमन वर्मा और अन्य

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह), लखनऊ और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राजेश कुमार अवस्थी, शरद कुमार राव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, भूपेन्द्र कुमार बाजपेयी

न्यायालय संख्या - 16

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार बाजपेयी ने विपक्षी संख्या 2 की ओर से वकालतनामा दाखिल करके उपस्थिति दर्ज कराई है, और इसे अभिलेख पर ले लिया गया है।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार बाजपेयी, विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. यह तत्काल आवेदन निम्नलिखित मुख्य प्रार्थनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया है:-

“इस आवेदन के अनुलग्नक संख्या 1 में शामिल विवेचना अधिकारी द्वारा आवेदकों के विरुद्ध दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 414 वर्ष 2025 (धारा 319(2), 318(4), 338, 336(4), 340(2), 317(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता और 66डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत, पुलिस थाना-कोतवाली अकबरपुर, जिला-अंबेडकर नगर में दिनांक 11.09.2025 की आक्षेपित आरोप पत्र (आरोप पत्र संख्या 01 वर्ष 2025) को रद्द करने हेतु।

(ii) दाण्डिक प्रकरण संख्या 636/2026, राज्य बनाम अमन वर्मा और अन्य की सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाही को रद्द करने हेतु, जो मुकदमा अपराध संख्या 414/2025 के अंतर्गत धारा 319(2), 318(4), 338, 336(4), 340(2), 317(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता और 66डी सूचना

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत, पुलिस थाना-कोतवाली अकबरपुर, जिला-अंबेडकर नगर में दर्ज है, और जो माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबेडकर नगर के न्यायालय में विचाराधीन है।”

4. आवेदकगण की ओर से उपसंजात हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे कथन कि किसी गलतफहमी के चलते आवेदकों के विरुद्ध यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और उसके पश्चात दोनों पक्षों ने आपसी सहमति से अपना विवाद सुलझा लिया है। समझौता-पत्र 17.02.2026 को लिखित रूप में तैयार किया गया था, जिसे इस आवेदन के साथ अनुलग्नक संख्या 6 के रूप में संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि अब दोनों पक्षों के मध्य एक-दूसरे को लेकर कोई शिकायत नहीं है, और आवेदकगण के विरुद्ध चल रही दाण्डिक कार्यवाही एक व्यर्थ का प्रयास है, क्योंकि अभियोग का कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है, यह आवेदकगण को परेशान करने जैसा है, और इसलिए आवेदकगण के विरुद्ध चल रही दाण्डिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

5. दूसरी ओर विपक्षी की ओर से उपसंजात हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के कथन का समर्थन किया गया है और प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारों ने एक समझौता-पत्र के माध्यम से अपने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है, अब विपक्षीगण को वर्तमान आवेदकगण के विरुद्ध कोई और शिकायत नहीं है, और आवेदकगण के विरुद्ध चल रही दाण्डिक कार्यवाही को समाप्त किया जा सकता है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को उपर्युक्त कथनों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. अब पक्षकारों ने वास्तव में प्रकरण पर समझौता किया है या नहीं, इसका पता सबसे अच्छी तरह से विचारण न्यायालय ही लगा सकता है, क्योंकि ऐसे समझौते का सत्यापन संबंधित पक्षकारों की उपस्थिति में न्यायालय के समक्ष विधिवत किया जाना आवश्यक है।

8. तदनुसार, इस आवेदन का निस्तारण संबंधित न्यायालय को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि यदि उसके समक्ष कोई ऐसा समझौता प्रस्तुत किया जाता है, तो वह समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले सभी व्यक्तियों को नोटिस जारी करेगा, जिसमें उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, और उसके पश्चात वह समझौते का सत्यापन करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। यदि उक्त समझौता सत्यापित हो जाता है, तो न्यायालय द्वारा इस आशय की एक आख्या तैयार की जाएगी और समझौते को अभिलेख का हिस्सा बना दिया जाएगा।

9. ऐसी स्थिति में न्यायालय पक्षकारों को आख्या के साथ-साथ समझौते की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की अनुमति देगा, और आवेदकगण इस हेतु स्वतंत्र रहेंगे कि वे कार्यवाही को रद्द करवाने हेतु पुनः इस न्यायालय का रुख करें।

10. तीन महीने की अवधि हेतु दाण्डिक प्रकरण संख्या 636/2026 (राज्य बनाम अमन वर्मा और अन्य) के अनुसरण में प्रारम्भ की गई कार्यवाही जो कि मुकदमा अपराध संख्या 414/2025 के अंतर्गत धारा 319(2), 318(4), 338, 336(4), 340(2), 317(2), 3(5) भारतीय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्याय संहिता और 66डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत, पुलिस थाना-कोतवाली अकबरपुर, जिला-अंबेडकर नगर में दर्ज है आवेदकगण के संबंध में स्थगित रहेगी।

11. विचारण न्यायालय को यह जांच करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या वे सभी पक्ष जिनके विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया गया था, समझौते में शामिल पक्ष हैं, और इस संबंध में वह सत्यापन आदेश के साथ एक आख्या भी भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता को मूल समझौता-पत्र की प्रतिलिपि लेने के पश्चात् उसे वापस कर दे।

30 मार्च 2026

मयंक

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।